विविध बैंक प्रकरण संख्या 56/2018 (RCMS 2018/00116) सिंडीकेट बैंक, शाखा 7–बी रविन्द्र पथ, श्रीगंगानगर जरिये जितेन्द्र सिंह बदेसरा, **मुख्य प्रबन्धक सिंडिकेट बैंक क्षेत्रीय कार्यालय, 3–ए, विद्याश्रम इंस्टीट्यूशनल एरिया, जेएलएन मार्ग, जयपुर (राज.)**

20.01.2020

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता उपस्थित है। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री संजय वर्मा का कथन है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी हरमीत सिंह, हरसिमरन सिंह सेठी को ऋण सुविधा के रूप में 25.00 लाख रूपये (अखरे रूपये पच्चीस लाख रूपये मात्र) का ऋण दिनांक 17.10.2011 को स्वीकृत किया था और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी हरमीत सिंह की रिहायशी सम्पत्ति मकान नं. टी–02, (क्षेत्रफल 2400 वर्गफुट) रिद्धि सिद्धि एनक्लेव, हनुमानगढ रोड, श्रीगंगानगर में स्थित है, को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 30.09.2017 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 01.12.2017 को 27,06,545/–रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 05.12.2017 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को नोटिस की तामील हो चुकी है जिसके बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी हरमीत सिंह द्वारा ऋण की सुरक्षा

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

की एवज् में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई अचल रिहायशी सम्पत्ति मकान नं. टी—02, (क्षेत्रफल 2400 वर्गफुट)रिद्धि सिद्धि एनक्लेव, हनुमानगढ रोड, श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण हरमीत सिंह एवं हरसिमरन सिंह सेठी को 25.00/—लाख रूपये (अखरे रूपये पच्चीस लाख मात्र) की ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 17.10.2011 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में हरमीत सिंह द्वारा अपनी अचल रिहायशी सम्पत्ति मकान नं. टी—02, (क्षेत्रफल 2400 वर्गफुट)रिद्धि सिद्धि एनक्लेव, हनुमानगढ रोड, श्रीगंगानगर जो प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणी का खाता दिनांक 30.09.2017 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणीं को धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 05.12.2017 को रजिस्टर्ड पोस्ट जारी किये गए है, की हरमीत सिंह की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है परन्तु हरसिमरन सिंह की नोटिस धारा 13(2) भेजने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। इसीप्रकार हरमीत सिंह को धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति रसीद पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी ने एक समाचार पत्र की दिनांक 02.11.2019 की फोटो प्रति जिसमें धारा 13(2) का हरमीत सिंह के नोटिस प्रकाशन की प्रति पेश की है जबकि धारा 13(2) के नोटिस की हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के दो अलग अलग समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया जाना आवश्यक है। इसलिए अप्रार्थी ऋणियों की तामील पर्याप्त नहीं है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

पता नहीं चलता है। प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 02.11.2019 के हिन्दी समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया है जबकि **प्रस्तुत** वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और **प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के प्रावधानों के तहत धारा 13(2) का नोटिस हिन्दी तथा अंग्रेजी के दो समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया जाना आवश्यक है । अप्रार्थी ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील की समस्त कार्यवाही प्रकरण प्रस्तुत करने से पूर्व होनी आवश्यक है। जबकि प्रार्थी बैंक ने** वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और **प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत दिनांक 07.06.2018 को प्रकरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है और अप्रार्थी हरमीत सिंह के धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 02.11.2019 को एक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया है, जो विधि सम्मत् नहीं है।**

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी सिंडिकेट बैंक श्रीगंगानगर का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 07.06.2018 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और **प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 खारिज किया जाता** है। प्रार्थी बैंक नये सिरे से अप्रार्थीगण के विरूद्ध सम्पूर्ण कार्यावाही कर, प्रकरण पुनः प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर